प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
वित्तीय वर्ष 2016-2017

अनुदान संख्या व नाम: 13-ग्राम्य विकास विभाग (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) /आयोजनागत	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध मूल अनुदान/ विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 04- जिला तथा अन्य सड़कें- 337- सड़क निर्माण कार्य- 02- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- 0201- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-					
24- वृहत निर्माण कार्य	14519506	1861430	1861430	1861430	12658076
योग-	14519506	1861430	1861430	1861430	12658076

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) /आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 04- जिला तथा अन्य सड़कें- 337- सड़क निर्माण कार्य- 03- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-					
24- वृहत निर्माण कार्य	5367894	7229324	1861430	1861430	7229324
योग-	5367894	7229324	1861430	1861430	7229324

(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
अनुदान संख्या-13 मद में कुल बजट प्राविधान रू0 1484.57 करोड़ के सापेक्ष अन्नतिम रूप से बचत सम्भावित हुयी है।

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
आवश्यकता के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा की गयी व्ययस्थानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत विश्व बैंक आर0आर0पी0-2, बैच-3 हेतु प्रोग्राम फण्ड मद की द्वितीय किश्त का अवशेष केन्द्रांश दिये जाने हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त में उत्तर प्रदेश बजट संख्या-RE-89 /ई-2-883-दस/2016, दिनांक-16 सितम्बर, 2016 मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद ।

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव
वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

संख्या:-48/2016/ 692(2)/अइतीस-9-2016-05 (बजट)/2015, दिनांक- 16 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
4 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6 - वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियाँ में)।

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।